पूर्व मध्य रेल
(निर्माण संगठन)

सं. ECR-HQ0CONS(ESTT)/0015/2025 (C.N.-313320) दिनांक 01.09.2025

अधिसूचना

निर्माण संगठन में मासिक पारिश्रमिक के आधार पर पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलो/यूनिटों से Works/P.Way/ Drawing संवर्ग से रेल सेवा से सेवानिवृत कर्मचारी को पूर्णतः अस्थाई रूप से पुनर्नियोजन(Re-engagement) के संबंध में।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं. E(NG)II/2024/RC-4/9 Dt. 15.10.2024, 31.12.2024 & 20.06.2025 (RBE No 96/2024, 115/2024 & 55/2025) एवं महाप्रबंधक(का.)/पूमरे/हाजीपुर का पत्र सं. ECR-HQ0PERS(RULE)/0002/2025 (310264) Dt. 22.01.2025 के निर्देशानुसार पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलो/यूनिटों से Works/P.Way/Drawing संवर्ग से रेल सेवा से सेवानिवृत कर्मचारी को निर्माण संगठन में पूर्णतः अस्थाई रूप से पुनर्नियोजन(Re-engagement) करने का निर्णय लिया गया है। अधिसूचना हेतु पदों का विवरण निम्नवत है :

कम सं.	पद का नाम	पे–लेवल	पदों की संख्या
01	Junior Engineer(Works)	Level-06	06
02	Junior Engineer(P.Way)	Level-06	01
03	Junior Engineer(Drawing)	Level-06	02
Total Post			09

पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलो/यूनिटों से Works/P.Way/Drawing संवर्ग के वैसे सेवानिवृत कर्मचारी जो निम्नलिखित नियमों एवं शर्तो को पूरा करते हो, से अनुलग्नक-"A" के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

उपरोक्त पदो पर पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करने के लिये पात्रता शर्ते नीचे दी गई है :-

1. अधिसूचित पद हेतु उसी संवर्ग से समान पे लेवल अथवा उससे तीन उच्चतर पे लेवल से सेवानिवृत रेलवे कर्मचारी आवेदन करने हेतु पात्र है।
2. वैसे कर्मचारी जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत/पदच्यूत या सेवा से वर्खास्त किये गये हो तथा संरक्षा संबंधित सेवानिवृत योजना(SRSS)/संरक्षा कोटियों पर लागू उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत योजना(LARSGESS) के अंतर्गत स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत हुए हों, वैसे कर्मचारी आवेदन करने के लिये पात्र नहीं होंगे।
3. आवेदित पद के लिये निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में फिट पाए जाने पर हीं अंतिम रूप से पुनर्नियोजित किया जायेगा।
4. सेवानिवृत कर्मचारियों की पुनर्नियोजन के लिये अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।
5. सेवानिवृत कर्मचारियों की पुनर्नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 01 वर्ष की अवधि या Scheme की वैद्यता तक या उक्त पद के विरूद्ध नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक या कार्य की समाप्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी। हालांकि किसी सेवानिवृत कर्मचारी के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर, उसकी नियुक्ति अवधि को 01 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिये बढ़ाया जा सकता है।
6. पुनर्नियोजित किये जाने वाले कर्मचारी का मासिक पारिश्रमिक उसके/उसकी अंतिम आहरित वेतन से पेंशन राशि घटाकर (Deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement) नियत मासिक राशि संविदा अवधि के दौरान देय होगा। संविदा अवधि में नियत पारिश्रमिक राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा संविदा अवधि के दौरान वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता एवं एच.आर.ए. देय नहीं होगा।
7. आवास एवं कार्यस्थल के बीच कॉम्प्यूटिंग उद्देश्य हेतु परिवहन भत्ते के रूप में उपयुक्त एवं नियत राशि देय होगी, जो सेवानिवृति के समय नियुक्त कर्मी पर लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार निर्धारित राशि नियुक्ति अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी। तथापि सेवानिवृति के समय अधिकृत दर के अनुसार उनको सरकारी यात्रा पर टी.ए./डीए. देय होगा, यदि कोई हो।
8. सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने के लिए 1.5 दिन की दर से सवैतनिक अनुपस्थिति अवकाश की अनुमति दी जा सकती है।
9. सेवानिवृत कर्मचारियों का पुनर्नियोजन हेतु उपयुक्तता का निर्धारण नामित समिति द्वारा उनके पुनर्नियोजन से पहले व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। पुनर्नियोजित कर्मचारी डीएआर/सतर्कता मामलों से भी मुक्त होना चाहिए।
10. आरआरबी/आरआरसी से चयनित उम्मीदवार या स्थानान्तरण/पदोन्नति पर नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने पर पुनर्नियोजित सेवानिवृत कर्मचारियो को सेवा मुक्त कर दिया जायेगा।
11. प्रशासन पुनर्नियोजित कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं यदि उनका प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त किया जा सकता है।
12. पुनर्नियोजित कर्मचारियों के काम के घंटे नियमित कर्मचारियों के समान ही होंगे।
13. ऐसी पुनर्नियोजन की अवधि को किसी भी प्रायोजन के लिये सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा जैसा कि नियमित सेवारत कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है।
14. कर्मचारियों की पुनर्नियोजन पीएलबी या किसी अन्य अतिरिक्त लाभ के लिये पात्र नहीं होंगे।
15. पुनर्नियोजित कर्मचारियों को इसीएस पीडब्ल्यूए भुगतान के तहत किसी भी कवरेज के लिए कवर नहीं किया जाएगा।
16. ग्रेच्यूटी अधिनियम या रेलवे सेवा के लिए स्वीकार्य कोई अन्य वैधानिक अधिनियम पुनर्नियोजित कर्मचारी पर लागू नहीं होगा।
17. पुनर्नियोजित कर्मचारी किसी भी कल्याण योजना अर्थात सीजीए के अंतर्गत कवर नहीं होंगे।

01.09.25

18. पुनर्नियोजित कर्मचारी नियमित कर्मचारी की तरह स्वीकार्य किसी भी अग्रिम के हकदार नहीं होंगे।
19. यदि पुनर्नियोजित कर्मचारी के कारण रेल प्रशासन को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति होती है तो यह राशि उस कर्मचारी को रेलवे खाते में जमा करना होगा अन्यथा इसे देय पेंशन रिलीफ से समायोजित कर लिया जाएगा।
20. पुनर्नियोजित कर्मचारी से Cash Handling का कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा।
21. किसी भी प्रकार के अनुशासनहीनता, कर्तव्यों के प्रति शिथिलता तथा रेल सेवा आचरण नियम के उल्लंघन के दोषी पाये जाने पर बिना किसी नोटिस, Show Cause या Explanation के इनकी सेवा को समाप्त किया जा सकता है।
22. पुनर्नियोजित कर्मचारी इस बात का स्मरण रखेंगे कि आपकी पुनर्नियोजन पूर्णतः अस्थाई है।
23. आपके पुनर्नियोजन से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी समस्त विर्निदिष्ट नियम आप पर लागू होंगे तथा भविष्य में भी समय–समय पर पुनर्नियोजन से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नियमों/उपनियमों के तहत आपकी पुनर्नियोजन संचालित होगी तथा आप इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे।
24. चयनित कर्मचारियों को उनके संबंधित शाखा अधिकारी/वरिष्ठ पर्यवेक्षकों द्वारा उनके लिए निर्धारित कार्यो को पूरा करना अनिवार्य होगा।
25. आरआरबी/आरआरसी से चयनित उम्मीदवारों के शामिल होने या नियमित पदस्थापना पर कर्मचारियों का स्थानान्तरण/पदोन्नति पर या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या पद अभ्यर्पण के कारण या जनशक्ति नियोजन के कारण प्रशासन को सेवाओं की आवश्यकता नहीं है एवं पुनर्नियोजित कर्मचारी को सेवा में निरंतरता का अधिकार नहीं होगा।
26. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. E(NG)II/2024/RC-4/9 Dt. 15.10.2024, 31.12.2024 & 20.06.2025 (RBE No 96/2024, 115/2024 & 55/2025) और समय- समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्गत संशोधन पत्र के अनुसार संविदा आधार पर पुनर्नियाजित मामले डील किये जाएगें।
27. वर्तमान नियमों के अनुसार अधिसूचना के शर्तो मे कोई भी अनुवर्ती परिवर्तन ही लागू होगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत पुनर्नियोजन के शर्तो के अनुसार पूर्व मध्य रेल/निर्माण संगठन के पास अनुवर्ती परिवर्तन/संशोधन/रद्द करने पर विचार/सम्मिलित करने हेतु अधिकार सुरक्षित रहेगा, जो जब भी लागू हो।
28. कोई भी विधिक विवाद केवल केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना के क्षेत्राधिकार के अधीन ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।
29. पूर्व मध्य रेल/निर्माण संगठन के पास पुनर्नियोजन के किसी भी स्तर पर आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, यदि आवेदन में कोई अनियमितता/कमी पायी जाती है।
30. पूर्व मध्य रेल के बेवसाइट: www.ecr.indianrailway.gov.in से सेवानिवृत कर्मचारियों के पुनर्नियोजन संबंधी अधिसूचना एवं अन्य कोई जानकारी को डाउनलोड किया जा सकता है।

(Click to Hajipur HQ > Construction > Personnel > Notification)

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वःअभिप्रमाणित प्रतियॉ संलग्न होनी चाहिएः–

1. सेवा प्रमाण पत्र
2. पेंशन पहचान पत्र
3. पेंशन भुगतान आदेश
4. अंतिम वेतन पर्ची
5. बैंक पासबुक की छायाप्रति
6. नवीनतम दो पासपोर्ट साइज फोटो
7. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति
8. शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता की छायाप्रति

अतः पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटों से सेवानिवृत वैसे कर्मचारी जो उपरोक्त सभी नियमों एवं शर्तो को पूरा करते हों एवं सहमत हो तो वे अपना आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा अनुलग्नक –"A" के माध्यम से सभी वांछित प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दिनांक 30.09.2025 तक इस कार्यालय में जमा करेंगे, जिसमें लिफाफा पर सबसे उपर में पुनर्नियोजन हेतु आवेदित पद का उल्लेख करते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 19.09.2025 के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन भेजने का पताः

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) कार्यालय,
कार्मिक विभाग, पॉचवा तल, नया प्रशासनिक भवन,
निर्माण संगठन, पूर्व मध्य रेल, महेन्द्रूघाट, पटना
बिहार–800004

01.09.25

(सौरभ सावर्ण)
वरि.कार्मिक अधिकारी/निर्माण
कृते मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

सं. ECR-HQ0CONS(ESTT)/0015/2025 (C.N.-313320) दिनांक 01.09.2025

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर प्रेषितः

- महाप्रबंधक(कार्मिक) / पूमरे / हाजीपुर
- Secy to CAO/Con/North को CAO/Con/North महोदय के सादर सूचनार्थ।
- Secy to CAO/Con/South को CAO/Con/South महोदय के सादर सूचनार्थ।
- मुप्रअ / निर्माण / आरएसपी / महेन्द्रूघाट महोदय के सादर सूचनार्थ।
- मुप्रअ / जीएलपी / दानापुर महोदय के सादर सूचनार्थ।
- प्रविस / पूमरे / हाजीपुर, विसमुलेधि / नि0 / पूमरे / महेन्द्रूघाट, पटना।
- मुकाधि / प्रशासन / पूमरे / हाजीपुर।
- मुख्य कारखाना प्रबंधक / सडिमका / हरनौत, यॉत्रिक कारखाना / समस्तीपुर एवं प्लांट डिपो / डीडीयू।
- सभी मुइं / निर्माण / पूमरे।
- मंरेप्र(का.) / पूमरे / दानापुर, सोनपुर, डीडीयू, समस्तीपुर एवं धनबाद।
- वरि.मंडल वित्त प्रबंधक / पूमरे / दानापुर, सोनपुर, डीडीयू, समस्तीपुर एवं धनबाद।
- सभी उपमुइं / निर्माण / पूमरे।
- सभी CSWI/Con/MHX.
- Ch. OS/R & D/Pers,/Con/MHX.
- CA/Personnel - for uploading on Website of Construction Organisation.
- नोटिस बोर्ड।

01.09.25

कृते मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण
महेन्द्रूघाट, पटना

अनुलग्नक-A

पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलो/यूनिटों से Works/P.Way/Drawing संवर्ग से रेल सेवा से सेवानिवृत कर्मचारी को निर्माण संगठन में पूर्णतः अस्थाई रूप से पुनर्नियोजन हेतु आवेदन।

अधिसूचना सं. ECR-HQ0CONS(ESTT)/0015/2025 (C.N.-313320) दिनांक 01.09.2025

आवेदित पद का नाम : Junior Engineer(.....,.....)

सेवा में,
वरि. कार्मिक अधिकारी/निर्माण,
पूर्व मध्य रेल, महेन्द्रूघाट, पटना
बिहार–800004

मैं पूर्व मध्य रेल के निर्माण संगठन में उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेखित नियमों एवं शर्तो के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करता/करती हूँ। मेरा सेवा विवरण निम्नवत है:

Self Attested Photograph of Retd. Railway Employee.

(Sign across)

1. नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. सेवानिवृत के समय धारित पदः
4. किस मंडल/विभाग/यूनिट से सेवानिवृत हुएः
5. जन्म तिथि :
6. नियुक्ति तिथि :
7. सेवानिवृत तिथि :
8. शैक्षणिक योग्यता :
9. पे बैण्ड+ग्रेड पे/पे लेवल(सेवानिवृति के समय) :
10. आवेदित कोटि संवर्ग में की गई सेवा अवधि :
11. यदि सामान्य सेवानिवृति के अलावे सेवानिवृत हुए हैं तो निम्न पर चिन्ह लगावेः

Voluntary Retirement	Compulsory Retirement	LARSGESS/SRSS	Other

12. पत्राचार का पता(पिन नम्बर सहित) :
13. मोबाईल नम्बर :
14. मेल आईडी :
15. बेसिक पेंशन :
16. सेवानिवृति के समय मेडिकल कोटिः
17. पीपीओ नंबर :

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

1. सेवा प्रमाण पत्र 2. पेंशन पहचान पत्र 3. पेंशन भुगतान आदेश
4. अंतिम वेतन पर्ची 5. बैंक पासबुक की छायाप्रति 6. नवीनतम दो पासपोर्ट साइज फोटो
7. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति 8. शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता की छायाप्रति

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही हैं। यदि किसी प्रकार की गलत सूचना पाया जाता है तो मैं दंडात्मक कार्रवाई के लिये उत्तरदायी हूँ। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि अधिसूचना में दिए गए निर्धारित नियमों एवं शर्तो को निष्ठापूर्वक पालन करूंगा/करूंगी। मैं SRSS/LARSGESS एवं Medical unfit for all categories से सेवानिवृत नहीं हुआ/हुई हूँ। बिना किसी पूर्व सूचना के/बिना कोई स्पष्टीकरण या कारण बताए मेरा पुनर्नियोजन समाप्त किया जा सकता है।

दिनांक :

सेवानिवृत कर्मचारी का हस्ताक्षर